

19/8/24

पतावली पत्र डी.डी. नं. 2, 1/3, 10
के लिए नया डिपॉजिट 1/1/2024 तक
21/8/24 को

21/8/24

पतावली पत्र डी.डी. नं. 2, 1/3, 10
के लिए नया डिपॉजिट 1/1/2024 तक
21/8/24 को

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

21/8/24

पतावली पत्र डी.डी. नं. 2, 1/3, 10
के लिए नया डिपॉजिट 1/1/2024 तक
21/8/24 को

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

16/8/24

पतावली पत्र डी.डी. नं. 2, 1/3, 10
के लिए नया डिपॉजिट 1/1/2024 तक
21/8/24 को

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

23/8/24

पतावली पत्र डी.डी. नं. 2, 1/3, 10
के लिए नया डिपॉजिट 1/1/2024 तक
21/8/24 को

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

पतावली पत्र डी.डी. नं. 2, 1/3, 10
के लिए नया डिपॉजिट 1/1/2024 तक
21/8/24 को

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

आदेश

कार्यवाही विवरण

से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का उपकरण
 करने से जाहिर होगा कि प्रार्थी की
 खालदार नम्बर 444, 445
 तक आवागमन हेतु सर्वसम्मति से पूरी
 का रास्ता नम्बर खसरा नम्बर 929/1406,
 406, 419, 418 में से होकर ही उक्त रास्ता
 के अतिरिक्त कच्ची सड़क का कोई रास्ता
 मौजूद नहीं है। उपरोक्त विवेक से स्पष्ट
 है कि प्रार्थी को पुनः कोई काम दिनांक
 19/07/2024 को प्रमुख प्रोफेक्टर
 मौका जांच रिपोर्ट का चारिज किया
 जाकर मूल प्रोफेक्टर स्वीकार किया जाना
 उचित एवं सुभाषित प्रमाणित होगा। अतः
 प्रोफेक्टर मौका जांच रिपोर्ट चारिज किया जाये।

प्रार्थी द्वारा प्रमुख प्रोफेक्टर को
 R.T.A. 1955 वहीनदार उद्योगवाली से दिनांक
 28/06/2024 से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के
 अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौका जांच रिपोर्ट
 दिनांक 28/06/2024 इस मौका जांच रिपोर्ट
 हिस्सा रहेगी। नम्बर खसरा नम्बर 929/1406 राजकीय
 नम्बर होने से उक्त खसरा नम्बर में से
 रास्ता काम नहीं किया। वहीनदार उद्योगवाली को
 नोडिफिकेशन किया जाता है कि मौका जांच रिपोर्ट अनुसार
 नम्बर खसरा नम्बर 406, 419, 418 में से राजकीय
 रास्ता कर्म कर राजस्व विभागीय में कम्पल प्रमाण
 किया जाये। वहीनदार उद्योगवाली को निर्दिष्ट
 किया जाता है कि उक्त रास्ता में समाप्त
 होने वाली नम्बर के बदले DLC पर से
 पुनः नया प्रार्थी से कम्पल कर लिए जायें।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

कार्यवाही
 को प्रमुख प्रोफेक्टर
 प्रमुख प्रोफेक्टर
 नम्बर प्रोफेक्टर
 प्रमुख प्रोफेक्टर
 प्रमुख प्रोफेक्टर

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

की शर्तों रास्ते में समाप्त/जिले हो रही है
 प्रिन्सिपल जॉर्ज उदयपुर उदयपुरवादी
 नम्बर 21 में भी काम प्रारम्भ करें।
 निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे
 द्वारा उच्च न्यायालय में सुनाया गया।
 पतावली जैसल कुमार द्वारा नम्बर 2 से
 कर दो व दायील पत्र दो।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवादी (नीमकथाना)